



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - eeedpwd_uki@rediffmail.com

Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 567/35/2021

दिनांक 01/05/2025

सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, कोटबंगला
उत्तरकाशी।

2. प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव चापडा कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है. वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-भारत सरकार पर्यायवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी./यू.सी.बी./06/35/2021/एफ.सी./05 दिनांक 01.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि दिनांक 17.03.2025 में प्रस्ताव पर की गई चर्चा के अलोक में अतिरिक्त शर्तों का बिन्दुवार प्रमाण पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न- 04 प्रमाण-पत्र।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रतिलिपि -1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अधीक्षण अभियन्ता, 6वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

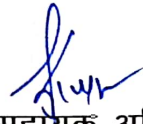


प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के इस अनुसार राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी, एवं भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



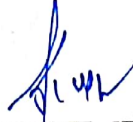
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 50 प्रतिशत बांज प्रजाति के वृक्षारोपण को सी.ए. योजना में शामिल किया जायेगा। तथा संशोधित सी.ए. योजना में प्रस्तुत करेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्थालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्थालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

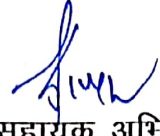


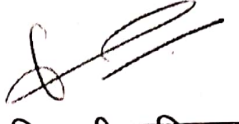
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्थालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट/भूमि की उपयोगिता प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नहीं बदला जायेगी।


कविष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी ग्रामीणों के साथ मिलकर वन विभाग को वनों की आग से सुरक्षा में सहयोग करेंगे।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।